



कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल जगदलपुर (छ0ग0)

क / / शाचिम / रथा. / 2017

जगदलपुर, दिनांक:

// आदेश //

स्व. श्री बी.आर.के स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर के आवा आबंटन समिति की अनुशंसा के आधार पर डिमरापाल परिसर में नवनिर्मित आवासगृह, नियमित/संवि चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित शासकीय आवासगृह आधिपत्य में लेने के दिनांक से आगा आदेश तक अस्थाई तौर से आबंटित किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम व पदनाम	विभाग	आबंटित भवन	रिमाच
1	Dr. Nandlal Singh kanwar, Sen. Resident	Pediatrics	Type-V'B' Qtr.no. -28	
2	Dr. Rajendra Singh, Sen. Resident	Orthopaedics	Type-V'B' Qtr.no. -29	
3	Dr. Rajeshwar Singh, Sen. Resident	Radiodiagnosis	Type-V'B' Qtr.no. -30	
4	Dr. Hemant Kumar Pandey, Demo.	Surgery	Type-V'B' Qtr.no. -27	
5	Dr. Ravi singh Bahrolia, Demo.	PSM	Type-V'B' Qtr.no. -24	
6	Dr. A. Prashant, Demo.	Chest & TB .	Type-V'B' Qtr.no. -21	
7	Dr. Deby D. Abraham, Demo	Psychiatry	Type-V'A' Qtr.no. -03	
8	Dr. Dushyant Kumar Soni, Demo.	Psychiatry	Type-V'A' Qtr.no. -23	
9	Dr. Ashok Pal Painkra, Demo.	Pharmacology	Type-V'A' Qtr.no. -26	
10	Dr. Gulab Singh Kashi, Demo.	Anaesthesiology	Type-V'A' Qtr.no. -27	
11	Dr. Khilashwar Sahu, CMO	Casualty	Type-V'A' Qtr.no. -28	


1. आबंटिती को भवन का आधिपत्य प्राप्त करने की सूचना, आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिव की समयावधि में अधिष्ठाता कार्यालय को देना आवश्यक होगा।
2. आवास आबंटन होने के उपरांत एक वर्ष तक आवास परिवर्तन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं कि जायेंगे।
3. स्थानान्तरण होने/सेवा निवृत्त होने/त्याग पत्र देने अथवा स्वयं का मकान निर्माण करने फलस्वरूप आबंटित शासकीय आवासगृह तत्काल रिक्त कर अधिष्ठाता कार्यालय को सूचित कर अनिवार्य होगा।

4. बिना अनुमति के शासकीय आवास पर आधिपत्य बनाये रखना अनियमितता माना जाकर आबंटि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए बाजार दर से शासकीय भवन के किराए की रा. वसूल की जावेगी।
5. आधिपत्य की सूचना पत्र में आबंटिती को यह घोषणा करना आवश्यक होगा कि उसके स्वयं/पति/बच्चों/माता/पिता के नाम से निजी भवन 08 किलोमीटर की परिधि में स्थित नहीं है। ऐसी घोषणा न करने की दशा में आबंटित शासकीय आवासगृह आदेश स्वयमेव निरस्त हो जावेगा।
6. शासकीय आवास का लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) नियम के अन्तर्गत आबंटिती के वेतन कटौती का दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है, यदि त्रुटिवश वेतन से कटौती न हो तो संबंधित भवन का किराया निर्धारित चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कर अपने आहरण/संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसमें त्रुटि पाये जाने पर आबंटिती से मूलभूत नियम 45-बी के तहत किराया वसूल किया जावेगा।
7. किसी भी परिस्थिति में आबंटित आवास को सबलेट नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा पाया गया तं आबंटित आवास तुरंत रिक्त करा लिया जायेगा।
8. उपरोक्त आवास का बिजली बिल प्रति माह रु. 500/- (टाईप- III, IV, V), रु. 400/- (टाईप- VI) एवं रु. 300/- (टाईप- VII) आगामी आदेश तक लेखा शाखा में गहीने के 05 तारीख तक जमा कर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा वेतन आहरण संभव नहीं होगा।

पृ० क्रमांक / 1848-5 / शाचिम / स्था / 2017
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जगदलपुर जिला अस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सयुक्त संचालक सह अधीक्षक महारानी अस्पताल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. लेखा शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिष्ठाता
स्व. श्री बी.आर.के स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)
जगदलपुर, दिनांक 22/03/2017


अधिष्ठाता
स्व. श्री बी.आर.के स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)